बैंक ऑफ बड़ौदा- निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, **2015 [**अर्थात विनियमन **17 (5) (**ए)] के अनुसार

I. संहिता की आवश्यकता और उद्देश्य

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अंतर्गत यह अधिदेश किया गया है कि निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की जाएगी. इसमें शामिल करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के उन अधिकारियों/कार्मिकों को चयनित किया गया है जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसके कोर प्रबंधन के सदस्य हैं एवं इसमें सभी कार्यकारी प्रमुखों सहित कार्यपालक निदेशकों से एक स्तर नीचे प्रबंधन के सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकेंगे.

तदनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मण्डल में अपने निदेशकों और इसके कोर प्रबंधन के लिए यह कोड निर्धारित किया है. कोर प्रबंधन संरचना में सभी महाप्रबंधक और सभी कार्य प्रमुख (ग्रेड / स्केल के बावजूद) शामिल होंगे.

ii. बैंक की आस्था प्रणाली:-

यह आचार संहिता उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास करती है जिन पर बैंक अपने विविध हितधारकों, सरकार और नियामक एजेंसियों, मीडिया एवं किसी अन्य व्यक्ति, जिसके साथ यह सम्बद्ध है, के साथ अपने दैनिक कारोबार का संचालन एवं परिचालन करेगा है. ऐसा माना जाता है कि बैंक सार्वजनिक धन का एक ट्रस्टी और संरक्षक होता है एवं अपने आस्था संबंधी दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, इसे वृहत पैमाने पर जनता के विश्वास को बनाए रखना होगा.

बैंक प्रत्येक लेनदेन की निष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार करता है और यह मानता है कि उसके आचरण में ईमानदारी और निष्ठा का आकलन उसके बाहरी व्यवहार द्वारा किया जा सकता है. बैंक उन देशों, जहां भी इसके द्वारा परिचालन किया जा रहा है, के हित के लिए अपने सभी कार्यों में प्रतिबद्ध होगा. बैंक अपने ग्राहकों और जनता के बीच बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठा के प्रति सचेत है और अपने दायित्वों के निर्वहन में इसे बनाए रखने और इसमें सुधार लाने के लिए वह सभी कार्यों को करने का प्रयास करेगा जिसे वह कर सकता है. बैंक ऐसी नीतियां तैयार करना जारी रखेगा, जो ग्राहक केंद्रित हैं और जो वित्तीय सावधानी को प्रोत्साहित करती हैं.

iii कोड का सिद्धान्त

कोड की परिकल्पना एवं अपेक्षाएं -

ए) निष्ठा एवं नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन, जिसमें व्यक्तिगत और व्यवसायिक संबंधों के बीच वास्तविक या स्पष्ट हितों के टकराव के निपटान के लिए उचित और नैतिक प्रक्रियाएं शामिल हैं.

बी) बैंक द्वारा सरकार और नियामक एजेंसियों को रिपोर्ट की जाने वाली आवधिक रिपोर्टों में पूर्ण, निष्पक्ष, सटीकता, समझदारी, समय पर एवं इनका सार्थक प्रकटीकरण है.

सी) लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन.

डी) - बैंक की परिसंपत्तियों और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना.

ई) - बैंक के भीतर और बाहर गोपनीयता और उचित व्यवहार का उच्चतम स्तर.

क - आचरण के सामान्य मानक

बैंक की यह अपेक्षा होती है कि कोर प्रबंधन के सभी निदेशक और सदस्य, ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के हितों, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने और एक सहकारी, कुशल, सकारात्मक, सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक कार्य वातावरण और व्यावसायिक संगठन बनाए रखने के लिए उचित निर्णय लेंगे.

कोर प्रबंधन के निदेशकों और सदस्यों को अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पूरी निष्ठा

से और उचित परिश्रम के साथ कार्य करना चाहिए. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अत्यंत सावधानी और समझदारी से अपना कार्य करें, जो एक साधारण व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय को लेकर आशा की जाती है. इन मानकों को बैंक के परिसर में, ऑफसाइट स्थानों पर जहां कारोबार किया जा रहा है, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, बैंक-प्रायोजित कारोबार और सामाजिक कार्यक्रमों में, या किसी अन्य स्थान पर जहां वे बैंक के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं, इसे लागू करना आवश्यक है.

ख -हितों में टकराव

"हितों में टकराव" तब होता है जब निदेशक मंडल और कोर प्रबंधन के किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत हित बैंक के हितों में हस्तक्षेप करता है या किसी भी तरह से हस्तक्षेप करता हुआ प्रतीत होता है. निदेशक मंडल और कोर प्रबंधन के प्रत्येक सदस्य का अपने बैंक के प्रति, उसके हितधारकों एवं एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है. यद्यपि यह कर्तव्य उन्हें व्यक्तिगत लेनदेन और निवेश में जुड़े रहने से नहीं रोकता है, इसके अनुसार वे उन स्थितियों से बचें जहां हितों का टकराव हो सकता है या होने जैसा प्रतीत होता है. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन इस प्रकार करें ताकि उनके साथ बैंक के हितों के के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो जैसे कि -

- रोजगार / बाहरी रोजगार - कोर प्रबंधन के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक के व्यावसायिक हितों पर अपना पूरा ध्यान दें. उन्हें किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होने से रोका जाता है जो बैंक के प्रति उनके कार्यनिष्पादन या जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप करती है या इसके अलावा बैंक के साथ विद्वेष या पूर्वाग्रह के रूप में मौजूद है.
- कारोबार हित - यदि निदेशक मंडल और कोर प्रबंधन का कोई सदस्य बैंक के ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या प्रतियोगी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश करने पर विचार करता है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये निवेश बैंक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से समझौता नही करेगा. निवेश के स्वरूप और प्रकृति सहित कई कारक; बैंक के निर्णयों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता; बैंक, या अन्य इकाई की गोपनीय जानकारी तक उनकी पहुंच एवं बैंक और ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या प्रतिद्वंदी के बीच संबंधों का स्वरूप यह निर्धारित करने हेतु विचार करेगी कि क्या कोई टकराव/संघर्ष है. इसके अतिरिक्त, उन्हें बैंक को किसी भी हित का खुलासा करना चाहिए जो उनके पास है जो बैंक के कारोबार के साथ संघर्ष कर सकता है.
- संबंधित पार्टी - एक सामान्य नियम के अनुसार, कोर प्रबंधन के निदेशकों और सदस्यों को किसी रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति या किसी भी फर्म, कंपनी, एसोसिएशन के साथ बैंक के कारोबार परिचालन से बचना चाहिए जिसमें रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका में जुड़ा हुआ हो.
    - किसी इकाई को संबंध तभी माना जाएगा जब कि :
        - ऐसी इकाई जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के तहत एक संबंधित पक्ष है –
        - कोई निदेशक या उसके रिश्तेदार
        - कोई प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसके रिश्तेदार (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" का अर्थ है,
            - ✓ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के तहत नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक
            - ✓ बोर्ड सचिव / कंपनी सचिव;

✓ कार्यपालक निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक;

✓ मुख्य वित्तीय अधिकारी; और

✓ ऐसे अन्य अधिकारी जो नियुक्त किए जा सकते हैं.

- कोई फर्म, जिसमें एक निदेशक या उसके रिश्तेदार एक साझेदार के रूप में हैं
- कोई निजी कंपनी जिसका निदेशक, एक सदस्य या स्वंय निदेशक हो.
- सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक, स्वंय निदेशक हो या जिसके पास रिश्तेदारों के चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक हो.
- किसी भी कॉर्पोरेट के निदेशक मंडल को प्रबंध निदेशकों, निदेशक की सलाह व, उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है.
- कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या अनुदेशों पर निदेशक कार्य करते है.
- ऐसी इकाई ,लेखांकन मानकों के अंतर्गत एक संबंधित पार्टी है -
- पार्टियों को जुड़ा हुआ माना जाता है यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी समय एक पार्टी के पास दूसरे पक्ष को नियंत्रित करने की क्षमता होती है या वित्तीय और / या संचालन हेतु निर्णय लेने में दूसरे पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है.

* "रिश्तेदार" का अर्थ और इसमें वैसे लोग शामिल है जो एक दूसरे से निम्न अनुसार संबंधित है,

- वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं
- वे पति और पत्नी हैं;

* एक व्यक्ति दूसरे से निम्नानुसार संबंधित है

- पिता (सौतेले पिता सहित);
- माँ (सौतेली माँ सहित);
- बेटा (सौतेले बेटे सहित);
- बेटे की पत्नी;
- बेटी;
- बेटी का पति;
- भाई (सौतेले भाई सहित);
- बहन (सौतेली बहन सहित)

- यदि इस तरह के संबंधित पक्ष का लेनदेन अपरिहार्य है, तो उन्हें समुचित प्राधिकारी को संबंधित पार्टी के लेनदेन के स्वरूप का पूरी तरह से खुलासा करना चाहिए. संबंधित पार्टी के साथ कोई भी सौदा इस तरह से किया जाना चाहिए कि उस पार्टी के साथ कोई अधिमान्य व्यवहार न किया जाए.
- हितों के टकराव को उत्पन्न करने वाले किसी अन्य लेनदेन या स्थिति के मामले में, समुचित प्राधिकारी को द्वारा आपकी विचार-विमर्श के बाद इसके प्रभाव पर निर्णय लेना चाहिए.

ग – लागू कानून

बैंक और कोर प्रबंधन के निदेशकों को लागू कानूनों, विनियमों, नियमों और नियामक आदेशों का पालन करना चाहिए. यदि बाद में पता चलता है तो उन्हें अनजाने में गैर-अनुपालन की सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए. उन्हें वार्षिक आधार पर इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि करनी चाहिए.

घ- प्रकटीकरण मानक

बैंक सरकार और विनियामक एजेंसियों के पास दर्ज करवाए जाने वाली आवधिक रिपोर्टों में पूर्ण, निष्पक्ष, सटिक, समय पर सार्थक प्रकटीकरण करेगा. बैंक के मुख्य प्रबंधन के सदस्य निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों और अन्य सांविधिक एजेंसियों को प्रासंगिक जानकारी के उचित प्रसार के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई शुरू करेंगे., जैसा कि लागू कानूनों, नियमों और विनियमों द्वारा आवश्यक होगा. वरिष्ठ प्रबंधन निदेशक मंडल को सभी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण करेगा, जहां उनके व्यक्तिगत हित हैं जो बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ अनुमानित द्वद हो सकते हैं.

स्पष्टीकरण- प्रबंधन और उनके रिश्तेदारों आदि की शेयरधारिता उनके मध्य हितों का टकराव, बैंक के शेयरों में लेनदेन, निकायों के साथ कारोबारी लेनदेन से संबंधित है.

ङ- बैंक की परिसंपत्तियों और संसाधनों का उपयोग:

निदेशक मंडल और कोर प्रबंधन के प्रत्येक सदस्य का बैंक के प्रति कर्तव्य है कि वह बैंक की परिसंपत्तियों और संसाधनों से निपटते समय अपने वैध हितों को आगे बढ़ाए. निदेशक मंडल और कोर प्रबंधन के सदस्यों को निम्नानुसार प्रतिबंधित किया गया है:-

- व्यक्तिगत लाभ के लिए कॉर्पोरेट संपत्ति, जानकारी या स्थिति का उपयोग करना;
- बैंक की परिसंपत्तियों और संसाधनों से निपटने के दौरान किसी भी व्यक्ति से मूल्य की किसी भी चीज़ को मांगना, स्वीकार करना
- किसी भी लेनदेन में बैंक की ओर से कार्य करना जिसमें उनका या उनके किसी रिश्तेदार का महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है.

च- गोपनीयता और निष्पक्ष व्यवहार

क) बैंक की गोपनीय जानकारी

- बैंक की गोपनीय जानकारी एक मूल्यवान संपत्ति है. इसमें सभी व्यापार संबंधी जानकारी, कारोबार की गोपनियता, निजी और विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी, ग्राहक सूचना, कर्मचारी से संबंधित जानकारी, कार्यनीतियों, प्रशासन, बैंक से संबंधित अनुसंधान और वाणिज्यिक, कानूनी, वैज्ञानिक, तकनीकी डेटा शामिल हैं जो बैंक द्वारा निदेशक मंडल और कोर प्रबंधन के प्रत्येक सदस्य को या तो पेपर स्वरूप में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदान किए जाते हैं या उपलब्ध कराए जाते हैं या बैंक के साथ उनकी स्थिति के आधार पर पहुंच के आधार पर वे जानने या प्राप्त करने में सक्षम है. सभी गोपनीय जानकारी का उपयोग

केवल बैंक के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए.

- बैंक के नीति के अनुसार उसकी गोपनीय सूचनाओं के रिकार्ड को सुरक्षित, सुदृढ़ एवं उचित निपटान करना, इस जिम्मेदारी के अंतर्गत है यह दायित्व तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी तक फैला हुआ है, जिसे बैंक ने गैर-प्रकटीकरण समझौतों के तहत सही तरीके से प्राप्त किया है.

- बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए संभावित व्यापारिक साझेदारों के समक्ष गोपनीय जानकारी का खुलासा करना पड़ सकता है. इस तरह का प्रकटन इसके संभावित लाभों और जोखिमों पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए. सबसे संवेदनशील जानकारी को प्रकट करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए, केवल तभी जब उक्त संभावित व्यवसाय भागीदार ने बैंक के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किया हो.

- कोई भी प्रकाशन या सार्वजनिक रूप से दिया गया बयान जिसे बैंक के लिए जिम्मेदार माना या माना जा सकता है, जो कि बैंक में किसी भी समुचित प्राधिकारी के दायरे से बाहर है, में इस आशय का अस्वीकरण शामिल होना चाहिए कि प्रकाशन या बयान विशिष्ट लेखक के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि बैंक की.

ख) **अन्य गोपनीय सूचनाएं -**

बैंक के कई कंपनियों और व्यक्तियों के साथ कई प्रकार के व्यापारिक संबंध हैं. कभी-कभी, वे बैंक को व्यावसायिक संबंध के लिए स्वप्रेरित होकर अपने उत्पादों या व्यावसायिक योजनाओं के बारे में गोपनीय जानकारी स्वेच्छा से प्रदान करेंगे. बाद में, बैंक अनुरोध कर सकता है कि एक तीसरा पक्ष गोपनीय जानकारी प्रदान करे ताकि बैंक उस पार्टी के साथ संभावित कारोबारिक संबंधों का मूल्यांकन कर सके. इसलिए, निदेशक मंडल और कोर प्रबंधन के सदस्यों द्वारा दूसरों की गोपनीय जानकारी को जिम्मेदारी से संभालने के लिए विशेष देखभाल की जानी चाहिए. इस प्रकार की गोपनीय जानकारी को ऐसे तीसरे पक्षों के साथ समझौतों के अनुसार संभाला जाना चाहिए.

- बैंक से यह अपेक्षा रहती है कि हर एक निदेशक और कोर प्रबंधन के सदस्य, महाप्रबंधकों को कानूनों, विधियों, नियमों और विनियमों का पूरी तरह से अनुपालन करना चाहिए जिनका उद्देश्य किसी भी प्रकार के गैरकानूनी लाभ को रोकना है.

- निदेशक और कोर प्रबंधन के सदस्य ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, शेयरधारकों / हितधारकों आदि से किसी भी धनराशि, उपहार, या मूल्य की किसी भी चीज़ का भुगतान करने के लिए किसी भी प्रस्ताव, भुगतान का वादा, या प्राधिकरण स्वीकार नहीं करेंगे, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी व्यावसायिक निर्णय, किसी भी कार्य या कार्य करने में विफलता, धोखाधड़ी के किसी भी कमीशन को प्रभावित करने के इरादे से माना जाता है या किसी भी धोखाधड़ी के कमीशन के लिए अवसर प्राप्त होता है.

IV. अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासनिक व्यवस्थाएं

बैंक के निदेशक मंडल और कोर प्रबंधन के प्रत्येक सदस्य को निम्न अनुसार अनुपालन करना चाहिए ताकि अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

(अ) **क्या करें :-**

- उचित आकलन करें और नियमित रूप से कंपनी के साथ अपने कौशल, ज्ञान और परिचालन को अपडेट और नवीन रखें.
- जानकारी का उचित स्पष्टीकरण प्राप्त करें और, जहां आवश्यक हो, बैंक के खर्च पर बाहरी विशेषज्ञों की उचित एक्सपर्ट एडवाइस लें एवं उनका पालन करें;
- निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करें, जिनमें निदेशक एक सदस्य है;
- बोर्ड के कागजात का अच्छी तरह से अध्ययन करें और निश्चित समय सारणी पर अनुवर्ती रिपोर्ट के बारे में पूछताछ करें.
- बोर्ड की समितियों में रचनात्मक और सक्रिय रूप से भाग लें जिसमें निदेशक एक अध्यक्ष या सदस्य हों.
- बैंक की आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना;
- जहां उन्हें कंपनी के संचालन या प्रस्तावित कार्रवाई की कोई चिंता है, यह सुनिश्चित करें कि इन्हें बोर्ड द्वारा संबोधित किया जाता है और, इस हद तक कि उन्हें हल नहीं किया जाता है, जोर देकर कहते हैं कि उनके मुद्दों को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है;
- कंपनी और बाहरी वातावरण के बारे में खुद को अच्छी तरह से अद्यतन रखें जिसमें यह परिचालित होता है;
- सामान्य नीतियों के निर्माण के मामले में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए.
- बोर्ड के अन्यथा उचित बोर्ड या समिति के कामकाज को अनुचित रूप से बाधित न करना;
- पर्याप्त ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श

किया जाए और खुद को आश्वस्त करें कि वे बैंक के हित में हों;

- बैंक के व्यापक उद्देश्यों और सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और विभिन्न कानूनों और विधानों से परिचित रहें.
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के पास पर्याप्त और कार्यात्मक निगरानी तंत्र है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति के हितों को इस तरह के उपयोग के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाता है;
- अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या बैंक की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करें;
- अपने अधिकार के तहत ही कार्य करना, बैंक, शेयरधारकों और उसके कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा में सहायता करना;

(आ)**क्या न करें**

- * बैंक के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप न करें
- बैंक के किसी भी घटक से संबंधित किसी भी जानकारी को किसी को भी प्रकट न करें।
- * अपने व्यक्तिगत विज़िटिंग कार्ड/लेटर हेड पर बैंक का लोगो/विशिष्ट डिजाइन प्रदर्शित न करें।
- * बैंक के परिसरके लिए ऋण, निवेश, भवन या स्थल, ठेकेदारों, वास्तुकारों, लेखा परीक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों और अन्य पेशेवरों आदि की सूची या सूची में शामिल करने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को प्रायोजित न करें।
- ऐसा कुछ भी न करें, जो कर्मचारियों के अनुशासन, अच्छे आचरण और अखंडता के रखरखाव में हस्तक्षेप करता हो और / या विध्वंसक हो।
- वाणिज्यिक रहस्यों, प्रौद्योगिकियों, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाओं, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी सहित गोपनीय जानकारी का खुलासा न करें, जब तक कि ऐसा प्रकटीकरण बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न हो या कानून द्वारा आवश्यक न हो।

V -छूट

- बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य या कोर प्रबंधन के सदस्य के लिए इस आचार संहिता के किसी भी प्रावधान की किसी भी छूट को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया जाना चाहिए.

इस आचार संहिता में शामिल मामले बैंक, उसके हितधारकों और उसके व्यापारिक भागीदारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और बैंक की अपनी मूल्य प्रणाली के अनुसार अपने कारोबार के संचालन करने की क्षमता के लिए आवश्यक हैं।

*** मार्क वाले प्रावधान प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यकारी निदेशक और कोर प्रबंधन कर्मियों पर लागू नहीं होते हैं.**